राजकीय महाविद्यालय करसोग, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2000 से 03/2013

भाग—एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

(i) महाविद्यालय के अवधि 06/1994 से 03/1997 व 04/1997 से 03/2000 के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में लम्बित पैरों पर वर्तमान स्थिति परिशिष्ट "I" में दर्शाई गई है। अतः महाविद्यालय प्रशासन को परामर्श दिया जाता है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में शेष अनिर्णीत पैरों का निपटारा अतिशीध्र किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा की गई कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(ii) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न प्रधानाचार्यों ने आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य कियाः—

क्र0सं0	प्रधानाचार्य का नाम	अवधि
1	ड0एस0एन0 त्यागी	16.8.99 से 31.07.01
2	श्री ओ0सी0 मलहोत्रा	01.08.01 से 06.12.01
3	श्री एच0के0 भारद्वाज	07.12.01 से 31.01.04
4	श्री आर0आर0 रोही	01.02.04 से 13.06.04
5	श्री पी0सी0 ठाकुर	14.06.04 से 02.10.07
6	डा0 शक्ति महाजन	03.10.07 से 09.07.08
7	डा0 सरोज चौहान	10.07.08 से 01.11.11
8	डा0 दीपक शर्मा	02.11.11 से 016.05.12
9	मिस किरन लोहिया	17.05.12 से लगातार

(iii) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

क्र0सं0	विवरण	पैरा सं0	राशि लाखों में (₹)
1	सावधि जमा राशियों को रोकड़ वही से अनियमित/अनुचित प्रकार से कम करना	4 (ख)	14.70
2	सावधि जमा राशियों पर ब्याज के रूप में अर्जित प्रविष्टि रोकड़ वही में न करना	4 (ग)	1.74
3	जुर्माना निधि के रूप में कम वसूली करना	6 (च)	0.27
4	महाविद्यालय द्वारा श्री जै राम सफाई कर्मचारी को अंशकालीन व तदोपरान्त दैनिक वेतन भोगी पद पर समिश्रित निधि से अनियमित भुगतान करना	7 (क)	2.60
5	बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के समिश्रित निधि से डेकेयर सेन्टर के संचालन हेतु ऋण दिया जाना	7 (ग)	0.19
6	कामर्स स्ट्रीम के छात्रों के चिन्तपर्णूी तथा मैकलोड़गंज के शैक्षणिक टूअर के लिए भुगतान करना	7 (छ)	0.13

भाग–दो

2 **वर्तमान अंकेक्षणः–**

राजकीय महाविद्यालय करसोग के अवधि 04/2000 से 03/2013 के छात्र निधि लेखों का वर्तमान अंकेक्षण/जॉच परीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये है, श्री तारा चन्द महन्त, (सहायक नियन्त्रक) तथा श्री नरेन्द्र कुमार, (आर्टिकल सहायक) द्वारा दिनांक 29.3.13 से 19.6.13 के दौरान करसोग में किया गया।

आय–व्यय के निम्न माह का चयन विस्तृत जांच हेतु किया गया।

वित्तीय वर्ष	चयनित माह (आय)	चयनित माह (व्यय)
2000–01	07 / 2000	01 / 2001
2001–02	07 / 2001	01 / 2002
2002–03	07 / 2002	11 / 2002
2003–04	07 / 2003	12 / 2003
2004–05	06 / 2004	12 / 2004
2005–06	07 / 2005	05 / 2005
2006–07	06 / 2006	12 / 2006
2007–08	06 / 2007	10 / 2007
2008–09	06 / 2008	12 / 2008
2009–10	06 / 2009	12 / 2009
2010–11	06 / 2010	12 / 2010
2011–12	06 / 2011	12 / 2011
2012–13	06 / 2012	12 / 2012

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को प्रधानाचार्य / नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध / प्रस्तुत करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त महाविद्यालय द्वारा प्रदान की गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रस्तुत / उपलब्ध नहीं करवाई गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

महाविद्यालय के अवधि 4/2000 से 3/2013 के छात्र निधि लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹91000/—बनता है, जिसका विस्तारपूर्वक निम्न प्रकार हैः—

वर्ष	सामान्य निधि से प्राप्त आय	पुस्तकालय निधि से प्राप्त आय	संचायिका से प्राप्त आय	कुल प्राप्तियॉ	अंकेक्षण शुल्क (₹)
2000—01	504217	28800	5740	538757	7000
2001—02	612076	45300	9060	666436	7000
2002—03	717145	44200	8840	770185	7000
2003—04	679174	39205	7820	726199	7000
2004—05	837542	59000	123055	1019597	7000
2005—06	893105	37300	106340	1036745	7000
2006—07	703376	42100	108643	854119	7000
2007—08	792242	42500	101400	936142	7000
2008—09	855894	48800	120360	1025054	7000
2009—10	973839	48800	129240	1151879	7000
2010—11	1657449	70800	28751	1757000	7000
2011—12	1951309	62600	30580	2044489	7000
2012—13	2107114	53982	29360	2190456	7000
				कुल अंकेक्षण शुल्क	₹91000

उपरोक्त वर्णित अंकेक्षण शुल्क की राशि को बैंक ड्राफ्ट द्वारा राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 238 दिनांक 15.6.2013 द्वारा अनुरोध किया गया। महाविद्यालय द्वारा अंकेक्षण शुल्क की ₹91000.00 हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (सीमित) शाखा करसोग के बैंक ड्राफ्ट संख्या 419671 दिनांक 17.6.2013 के अन्तर्गत निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को भेज दी गई है।

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) राजकीय महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत "General Fund" तथा "Libarary Security Fund" की वित्तीय स्थिति तथा उक्त निधियों के सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–"A"** पर संलग्न है।

(ख) सावधि जमा योजना में निवेशित ₹1470312/– को रोकड़ वही से अनियमित/अनुचित प्रकार से कम करने बारेः–

छात्र–निधियों की सामान्य निधि व पुस्तकालय प्रतिभूति निधि की रोकड़ वही के जॉच में यह पाया गया कि सावधि जमा के रूप में निवेशित राशि को रोकड़वहियों से कम कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप रोकड़वहियों का अन्तशेष कम दर्शाया गया जोकि लेखांकन के नियमों के विपरीत है। रोकड़ वही से निवेश की राशि को कम करना अपने आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है। अतः उक्त पाई गई गम्भीर अनियमितता के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा सुझाव दिया जाता है कि दिनांक 31.3.13 तक रोकड़ वहियों से कम की गई ₹1187477+₹282835=₹1470312, जिसका पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न वित्तीय स्थिति/बैंक समाधान विवरणियों में दिया गया है, की संस्था स्तर पर आन्तरिक जांच करने के उपरान्त इन्हें रोकड़वही में दर्ज किया जाये ताकि रोकड़ वहियों के अन्तशेष की सही स्थिति परिलक्षित हो सके।

(ग) सावधि जमा राशियों पर ब्याज के रूप में अर्जित ₹174889/– की प्रविष्टि रोकड़वही में न करनाः–

रोकड़वही की जॉच में यह भी पाया गया कि दिनांक 31.3.13 तक विभिन्न सावधि जमा राशियों पर बैंक द्वारा क्रेडिट किये गये ब्याज ₹157970+₹16919=₹174889/– की प्रविष्टियॉ रोकड़ वही में नहीं की गई थी जिनका पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के बैंक समाधान विवरणीं में दिया गया है। अतः सावधि निवेश पर समय–2 पर अर्जित ब्याज को रोकड़ वही में लेखाकिंत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा संस्था स्तर पर आन्तरिक जांच करके

उपरोक्त बैंक समाधान विवरणियों में वर्णित ब्याज की राशि की प्रविष्टि रोकड़वही में की जानी सुनिश्चित की जाये ताकि रोकड़ वही में अन्तशेष की सही स्थिति स्पष्ट/परिलक्षित हो सके।

5 **निवेशः–**

राजकीय महाविद्यालय द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि से किए गए निवेश में निम्नलिखित अभियूक्तियां पाई गईः–

(क) विभिन्न छात्र निधियों से दिनांक 31.3.2013 तक ₹1645201/– का निवेश किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	दिनांक	निवेशित राशि	एफ0डी0आर0 सं0/बैंक का नाम	दर	अवधि	परिपक्वता दिनांक	टिप्पणी
1	02.11.12	755151	33730300256/पी0 एनबी करसोग	9%	1 वर्ष	02.11.13	सामान्य निधि
2	24.12.12	590296	3373030019	9%	1 वर्ष	24.12.13	सामान्य निधि
3	02.11.12	188790	33730300259	9.50%	1 वर्ष	02.11.13	पुस्तकालय प्रतिभूति निधि
4	05.3.12	110964	33730300288	9.50%	1 वर्ष	05.03.13	पुस्तकालय प्रतिभूति निधि
कुल निवेशित राशि		**1645201**					

(ख) सावधि जमा राशियों पर बैंकों द्वारा कम दरों पर ब्याज देने के कारण ब्याज की ₹6232/– को हानिः–

जॉच के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा राशियों को एक ही अवधि में विभिन्न बैंकों में निवेशित किया गया था, जिसके कारण विभिन्न बैंकों द्वारा एक ही अवधि में निवेशित राशियों पर अलग–2 दरों से ब्याज दिया गया था, जिसके कारण संस्था को कम ब्याज दरों के कारण ₹6232/– ब्याज की वित्तीय हानि उठानी पड़ी, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण निम्न प्रकार से हैः–

एफ0डी0आर0 सं0/बैंक	दिनांक	निवेशित राशि	अवधि	दर	दरों में अन्तर	जितनी ब्याज की हानि उठानी पड़ी
806/एचपीएससीबी	1.5.2000	67000	2 वर्ष	10%	–	–
एचपीएससीबी	1.5.2000	75000	2 वर्ष	9.25%	0.75%	1132
5908/पीएनबी	1.5.2000	300000	2.3 वर्ष	9.25%	0.75%	5100
					कुल राशि	₹6232

अतः उक्त अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा महाविद्यालय प्रशासन को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में एक ही अवधि में राशियों को निवेशित करते समय राशियों को उसी बैंक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये जिस बैंक द्वारा अधिक से अधिक दरों पर ब्याज दिया जाये ताकि कम ब्याज दरों के कारण हो रही या होने वाली वित्तीय हानि से बचा जा सके।

(ग) सावधि जमा राशियों पर पंजाब नैशनल बैंक करसोग द्वारा ₹8030/–का कम ब्याज देने बारेः–

जॉच में यह पाया गया कि पी0एन0बी0 करसोग द्वारा सावधि जमा राशियों पर ₹8030 कम ब्याज दिया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

एफ0डी0आर0 सं0/बैंक	दिनांक	निवेशित राशि	परिपक्वता दिनांक	दर	परिपक्वता अपेक्षित राशि	प्राप्त राशि	अन्तर
5908/पीएनबी	1.5.2000	300000	01.08.02	9.25%	368530	360505	8025

अतः उपरोक्त मामला सम्बन्धित बैंक में उठाया जाये तथा कम ब्याज की ₹8025/– की वसूली चक्रवृद्धि ब्याज सहित करके वापिस सम्बन्धित छात्र निधि खाते में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(घ) सावधि जमा राशियों पर बैंक द्वारा पुनः निवेश पर ₹2015/– का कम ब्याज देने बारेः–

जॉच में यह भी पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पी0एन0बी0 करसोग तथा हिमाचल प्रदेश सहकारी का0 बैंक करसोग द्वारा सावधि जमा राशियों का पुनर्निवेश देरी से करने के कारण कम ब्याज दिया गया जबकि निवेशित राशियां सम्बन्धित बैक में ही जमा थी।

क्र0सं0	एफ0डी0आर0 सं0/बैकं	दिनांक	निवेशित राशि	अवधि	दर	परिपिक्वता दिनांक	परिपक्वता राशि		जितनी ब्यात की राशि कम दी गई
1	पी0एन0बी0	1.5.2000	75000	2 वर्ष	9.25%	1.5.02	90127		
		2.8.02	90127	91 दिन	6.25%	2.11.02	91588	91 दिन	1461
2	हि0प्र0स0क0 बैंक	5.2.02	50000	3 वर्ष	9.0%	5.2.05	65325		
		5.2.05	65325	2 वर्ष	6.25%	5.2.07	73951	30 दिन	554
		5.3.07	73951	3 वर्ष	9.00%	5.3.10	96584		
							कुल राशि		**2015**

उपरोक्त क्रम संख्या एक में ब्याज की ₹1461/– तथा क्रम संख्या 2 में ब्याज की ₹554/– बैंकों द्वारा राशियों को पुर्ननिवेश करते समय कम दी गई जबकि यह राशियॉ सम्बन्धित बैंक में ही जमा थी। अतः यह मामला सम्बन्धित बैंकों में उठाया जाये तथा उक्त अवधि के लिए ब्याज न देने का औचित्य स्पष्ट करते हुये कम दिए गए ब्याज की ₹2015/–की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित बैंक से की जानी सुनिश्चित की जाये।

6 आयः—

राजकीय महाविद्यालय करसोग की चयनित माह की आय की जांच पर निम्नलिखित त्रुटियां पाई गईः—

(क) प्रवेश शुल्क, टयूशन शुल्क व विलम्ब शुल्क के रूप में प्राप्त ₹1300/—को राजकीय कोष में जमा न करवानाः—

फीस प्राप्ति रजिस्टर की जॉच के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार प्रवेश शुल्क, टयूशन शुल्क व विलम्ब शुल्क के रूप में विद्यार्थियों से प्राप्त की गई ₹1300/— को राजकीय कोष खाते में जमा नहीं करवाया गया।

क्र0सं0	फीस प्राप्ति रजिस्टर पृष्ठ सं0	दिनांक	प्रवेश शुल्क, टयूशन शुल्क व विलम्ब शुल्क के रूप मे प्राप्त राशि जो जमा नहीं करवाई गई
1	189	16.12.05	1200
2	183	2.9.11	100
		कुल राशि (₹)	1300

अतः उक्त ₹1300/— को जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा उक्त राशि की प्रतिपूर्ति चूककर्ता से करके अविलम्ब राजकीय कोष खाते में जमा करवाई जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(ख) कम्पयूटर प्रैक्टिकल निधि के रूप में ₹3045/— की कम वसूली करने बारेः—

फीस प्राप्ति रजिस्टर की जॉच में पाया गया कि **परिशिष्ट "B"** में दर्शाए गए वाणिज्य व गणित के छात्रो से निम्नविवरणानुसार कम्पयूटर प्रैक्टिकल निधि के रूप में ₹1300/—कम वसूल की गई थी।

वर्ष	गणित के छात्र		वाणिज्य के छात्र	कुल छात्र	दर	जितनी राशि देय थी	जितनी राशि प्राप्त हुई	जितनी राशि कम वसूल की
	BA-III	**BSC-III**	**B.Com-III**					
2010—11	4	22	8	34	180	6120	5865	255
2011—12	4	19	11	34	180	6120	4590	1530
2012—13	1	23	16	40	180	7200	5940	1260
				कुल जितनी राशि कम वसूल की गई (₹)				3045

अतः कम्पयूटर प्रैक्टिकल निधि के रूप में ₹3045/— कम वसूल करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा उक्त राशि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके वापिस सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवाई जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(ग) रसीदों को फीस प्राप्ति रजिस्टर में दर्ज न करने बारेः—

परिशिष्ट "C" मे ंवर्णित रसीदों को फीस प्राप्ति रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। इस सन्दर्भ में महाविद्यालय प्रधानाचार्य से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 239 दिनांक 15.6.13 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया था तथा अंकेक्षण के दौरान उक्त अधियाचना के अन्तर्गत कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। यह एक गम्भीर अनियमितता है। अतः महाविद्यालय प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि उक्त **परिशिष्ट—"C"** में वर्णित रसीदों के अतिरिक्त इसी प्रकार की अन्य रसीदों को भी आन्तरिक स्त्तर पर छानबीन करवाई जानी सुनिश्चित की जाये व वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाये। यदि सम्बन्धित रसीदों के अन्तर्गत कोई राशियॉ प्राप्त हुई है, तो उनकी प्रतिपूर्ति चूककर्ताओं से ब्याज सहित करके वापिस सम्बन्धित छात्र—निधि खातों में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(घ) रसीद बुकों को स्टॉक रजिस्टर पर ईन्द्राज किये बगैर प्रयोग में लाने बारेः–

जॉच के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/2000 से 03/2013 के दौरान जितनी रसीद बुकें प्रयोग में लाई गई थी, उन समस्त रसीद बुकों की प्राप्ति व निर्गमन की प्रविष्टियॉ स्टॉक रजिस्टर पर नहीं की गई थी। यह एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है। इसके अभाव मे यह ज्ञात करना अत्यन्त जटिल है कि कुल कितनी रसीद बुकें प्रिंट करवाई गई एवं स्टॉक में आई, कितनी रसीद बुकें प्रयोग में लाई गई या जारी की गई तथा कुल कितनी रसीद बुकें अन्तशेष के रूप में थी। उक्त अनियमितता के कारण रसीद बुकों के गुम होने व दुर्विनियोजन की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता है। अतः महाविद्यालय प्रशासन को यह परामर्श दिया जाता है कि रसीद बुकों के प्रिंट करवाने एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेखों तथा प्रयोग में लाई गई रसीदों की आन्तरिक स्त्तर पर छानबीन करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा तदोपरान्त स्टॉक रजिस्टर पर प्रविष्टियॉ की जानी भी सुनिश्चित की जाये एवं अनुपालना की जॉच आगामी अंकेक्षण पर करवाई जाये। इसके अतिरिक्त भविष्य में भी रसीद बुकों की नियमित रूप से स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टियॉ की जानी सुनिश्चित की जाये।

(ङ) खाली रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर में ईन्द्राज न करने बारेः–

जॉच के दौरान पाया गया कि स्टॉक में पड़ी खाली (blank) रसीद बुकों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि/ईन्द्राज नहीं किया गया था जिसके सम्बन्ध में महाविद्यालय प्रधानाचार्य से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 240 दिनांक 15.6.2013 द्वारा अनुरोध किया गया। इस प्रकार की खाली रसीद बुकों का विवरण **परिशिष्ट "D"** पर दिया गया है। अतः महाविद्यालय प्रशासन को यह परामर्श दिया जाता है कि उक्त **परिशिष्ट"D"** में वर्णित खाली रसीद बुकों के अतिरिक्त अन्य समस्त खाली रसीद बुकों का ईन्द्राज अतिशीध्र स्टॉक रजिस्टर पर किया जाये तथा क्रमानुसार रसीद बुकों को प्रयोग में लाया जाये ताकि रसीद बुकों के होने वाले अनुचित प्रयोग पर रोक लगाई जा सके। इसके अतिरिक्त भविष्य में इस प्रकार की गम्भीर अनियमितताओं पर रोक लगाई जानी सुनिश्चित की जाये।

(च) जुर्माना निधि के रूप में ₹27252/– की कम वसूली करने बारेः–

जॉच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2000–01 से 2012–13 के दौरान जुर्माना निधि के रूप में कुल ₹730050/–देय थी, (जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "E"** पर दिया गया है) लेकिन उक्त अवधि के दौरान जुर्माना निधि के रूप में केवल ₹702798/– विद्यार्थियों से प्राप्त की गई दर्शाई गई है तथा यही राशि फीस प्राप्ति रजिस्टर व रोकड़वही पर दर्ज की गई है। इस प्रकार जुर्माना निधि के रूप में कम वसूली गई ₹27252/= (₹730050–₹702798) के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा उक्त ₹27252/– की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से वापिस सम्बन्धित निधि के खाते में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(छ) देरी से वापिस की गई पुस्तकों के लिये जुर्माने के रूप में की गई कम वसूलीः–

जॉच के दौरान पाया गया कि कुछ प्रकरणों में महाविद्यालय के पुस्तकालय से छात्रों को पढ़ने के लिये जारी की गई पुस्तकों को देरी से वापिस किया गया था जबकि नियमानुसार प्रत्येक पुस्तक को छात्रों द्वारा अधिकतम 14 दिन के लिये जारी किया जाना अपेक्षित है अन्यथा 14 दिन से अधिक समय के लिये पुस्तक जारी करने के लिये नवीकरण किया जाना अपेक्षित है। निर्धारित 14 दिन के उपरान्त वापिस की गई पुस्तकों के लिये प्रत्येक पुस्तक का प्रतिदिन देरी के लिये ₹1/– जुर्माने के रूप में वसूल किया जाना अपेक्षित है परन्तु इन मामलों में देरी से वापिस की पुस्तकों के लिये जुर्माने की राशि वसूल नहीं की गई जोकि अनियमित हैं जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये। अंकेक्षणाधीन में छात्र द्वारा देरी से वापिस की गई पुस्तकों के कुछ उदाहरण निम्नविवरणानुसार दिए गए है।

Access No. of Books	छात्र का नाम	रोल नं0	कक्षा	अवधि	पुस्तक जितने दिन देरी स वापिस की गई
7194	अनीता कुमारी	17001	BA.III	29.8.12 से 26.9.12	15 दिन
7193	अनीता कुमारी	17001	BA.III	8.10.12 से 26.12.12	66 दिन
3021	अनीता कुमारी	17001	BA.III	1.12.12 से 24.12.12	10 दिन

7193	कुमारी सपना	17005	BA.III	24.7.12 से 8.10.12	62 दिन
11522	कुमारी सपना	17005	BA.III	24.11.12 से 2.2.13	57 दिन
715/3	सीमा देवी	17032	BA.III	28.7.12 से 27.8.12	17 दिन
1725/3	सीमा देवी	17032	BA.III	20.9.12 से 20.10.12	17 दिन
7194	सीमा देवी	17032	BA.III	26.12.12 से 11.2.13	34 दिन
1620/2	गुमन सिंह	2611	BA.III	1.8.05 से 24.8.05	10 दिन
3012	गुमन सिंह	2611	BA.III	19.8.05 से 2.3.06	195 दिन
2478	लोदी सिंह	2002	BA.III	20.8.05 से 2.3.06	194 दिन

उपरोक्त के सन्दर्भ में महाविद्यालय प्रशासन द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों की संस्था स्तर पर भी छानबीन करवाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा देरी से वापिस की गई पुस्तकों के लिये प्रतिदिन/प्रति पुस्तक की ₹1/– की दर से जुर्माने की राशि की गणना आन्तरिक स्तर पर करवाई जाये तथा अपेक्षित वसूली उचित स्त्रोत से वापिस सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में नियमों की अनपुालना नियमित रूप से की जानी सुनिश्चित की जाये।

(ज) वर्ष 2010–11 से 2012–13 के दौरान छात्रों को जारी पुस्तकों के रजिस्टर का रख–रखाव न करने बारेः–

जॉच में पाया गया कि अवधि 2010–11 से 2012–13 के दौरान छात्रों को पुस्तकें पढ़ने हेतु कार्डों पर ही जारी की गई थी परन्तु जारी की गई पुस्तकों से सम्बन्धित रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में पुस्तकें गुम होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः अपेक्षित रजिस्टर का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में नियमित रूप से उक्त रजिस्टर का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(झ) शैक्षणिक सत्र के उपरान्त शेष बचे प्रविवरणों की बिक्री बारेः–

अभिलेख की जांच में पाया गया कि **परिशिष्ट "F"** में दिए विवरणानुसार शैक्षणिक सत्रों के उपरान्त प्रविवरणों की कुछ प्रतियॉ स्टॉक में शेष थी। इन शेष बचे प्रविवरणों को शेक्षणिक सत्र में अपलिखित नहीं किया गया था, जिससे स्पष्ट है कि प्रविवरण अप्रचलित नहीं

थे तथा न ही इन शेष बचे प्रविवरणो को अगले सत्र में अग्रनित किया गया था। यदि शेष बचे प्रविवरणों की प्रतियों को अगले शैक्षणिक सत्रों में अग्रनित करके इनका विक्रय किया गया होता तो संस्था को उक्त परिशिष्टों के अनुसार ₹36475/–की आय हो सकती थी। अतः शेष बचे प्रविवरणों को अगले शैक्षणित सत्र में अग्रनित न करने एवं विक्रय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा ₹36475 की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि के खाते में जमा करवाई जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(ञ) छात्रावास (Hostel) में छात्राओं से प्राप्त किराये के लिये किराया रजिस्टर का रख–रखाव न करने बारेः–

जॉच के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय में छात्रावास की सुविधा वर्ष 2010–11 से शुरू की गई है। आवास में रहने वाली छात्राओं से माहवार किराया प्रत्येक महीने किराया वसूल किया जाता है लेकिन अवधि 2010–11 से 2012–13 तक प्राप्त किराये के लिये, किराया रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया है जोकि अनियमित है। अतः भविष्य के लिये किराया रजिस्टर का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

7 व्ययः–

राजकीय महाविद्यालय के चयनित माह के व्यय के वाऊचरों के अंकेक्षण के दौरान अनियमितताए पाई गईः–

(क) महाविद्यालय द्वारा श्री जै राम सफाई कर्मचारी को अंशकालीन व तदोपरान्त दैनिक वेतन भोगी पद पर समिश्रित निधि से किये गये ₹260252/–के अनियमित भुगतान बारेः–

हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के प्रथम अध्यादेश 1973 के अध्याय 42–II की धारा 43.3 (viii) में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालयों के प्रचार्यों को महाविद्यालय में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक रिक्त पदो के विरूद्ध अस्थाई तौर पर तीन महीनों की अवधि के लिये समिश्रित निधि से स्टॉफ नियुक्त करने की शक्तियां प्रदान की गई है। इसके विपरीत अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि महाविद्यालय में सफाई कर्मचारी का रिक्त पद न होने के बावजूद भी श्री जै राम सफाई कर्मचारी को माह जुलाई 2002 से अंशकालीन सफाई कर्मचारी तथा माह जुलाई 2006 से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के तौर पर नियुक्त करके दिनांक 31.3.2013 तक

₹260252/– का भुगतान किया गया है जिसका विवरण संलग्न **परिशिष्ट "G"** में दिया गया है। यह भुगतान समिश्रित निधि से किया जा रहा है जो उक्त वर्णित दिशा–निर्देशों के विपरीत है। चर्चा के दौरान अंकेक्षण को बताया गया कि महाविद्यालय में सफाई की नितान्त आवश्यकता के मध्यनजर उक्त कर्मचारी को माह जुलाई 2002 से माह जून 2006 तक अंशकालीन तथा माह जुलाई 2006 से आज दिनांक तक दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्त करके समिश्रित निधि से भुगतान किया जा रहा है परन्तु यह भुगतान सरकार के दिशा निर्देशों के विरूद्ध किया जा रहा है जोकि समिश्रित निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः उक्त नियुक्ति को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त भुगतान की गई राशि को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाये।

(ख) समिश्रित निधि से एन0एस0एस0 की गतिविधियों के संचालन हेतु दिए गए ऋण के बारे में तथा उक्त ऋण सें व्यय की गई ₹17000/– से सम्बन्धित अभिलेख न दर्शाने बारे तथा एन0एस0एस0 गतिविधियों के संचालन हेतु ₹10000/– को निधि में वापिस न लौटाने बारेः–ः–

राजकीय महाविद्यालय करसोग द्वारा एन0एस0एस0 की गतिविधियों के संचालन हेतु समिश्रित निधि से निम्नानुसार ऋण की राशि दी गई।

क्र0सं0	शिक्षा सत्र	वा0सं0	राशि	जिसके नाम पर ऋण की राशि दी गई है
1	2000–2001	82 दिनांक 31.12.2000	10000	श्री डी0आर0 ठाकुर एसोसिऐट प्रोफेसर
2	1999–2000	62 दिनांक 15.12.99	7000	श्री कलयाण सिंह लेक्चरर
3	2001–2002	121 दिनांक 5.1.2002	10000	श्री कलयाण सिंह लेक्चरर

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि सम्बन्धित संस्था से अनुदान की राशि न मिलने के कारण शिक्षा निदेशालय द्वारा अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या ई0डी0एन0–एच0 (8) एएफ/2009–10 दिनांक 5.09.2011 द्वारा उपरोक्त ऋण की राशि की सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त समिश्रित निधि से दिए जाने बारे स्वीकृति प्रदान की गई है परन्तु ऋण की उपरोक्त राशि समिश्रित निधि में वापिस नहीं की गई जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय द्वारा शिक्षा सत्र 2000–2001 में दिनांक 31.12.2000 को एन0एस0एस0 की गतिविधियों के अन्तर्गत किये गये व्यय से सम्बन्धित ₹10000/– के वाऊचर

ही अंकेक्षण में दर्शाये गए तथा शिक्षा सत्र 1999–2000 में व्यय की गई ₹7000/– शिक्षा सत्र 2001–2002 में व्यय की ₹10000/–के व्यय से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में नहीं दर्शाए गए जिसके अभाव में व्यय की राशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः व्यय की गई ₹17000/– के व्यय से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दर्शाए जाने सुनिश्चित किए जाए अन्यथा व्यय की राशि को उचित स्त्रोत से वसूल करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय द्वारा श्री सतीश कुमार प्रवक्ता संस्कृत को एन0एस0एस0 की गतिविधियों के संचालन हेतु वाउचर संख्या 96 दिनांक 15.1.2004 द्वारा शिक्षा सत्र 2003–04 में ₹10000/– के ऋण का भुगतान किया गया है परन्तु इसके लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई और न ही ऋण की राशि को निधि में वापिस जमा किया गया। अतः इस प्रकरण में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के अतिरिक्त ऋण की राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके वापिस निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित की जाए।

(ग) बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के समिश्रित निधि से डे केयर सेन्टर (Day care Center) के संचालन हेतु ₹19936/–का ऋण दिए जाने बारेः'–

महाविद्यालय करसोग द्वारा निम्नानुसार समिश्रित निधि से शिक्षकों को दिन में डयूटी पर रहने के दौरान तथा घर से दूर रहने पर उनके बच्चों की देख रेख के लिये डे केयर सेन्टर के संचालन हेतु ऋण दिया गया है परन्तु इसके लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं की और न ही उक्त ऋण की राशि को वापिस मिश्रित निधि में जमा करवाया गया। अतः इस प्रकरण में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेने के अतिरिक्त ऋण की राशि को अतिशीध्र उचित स्त्रोत से वहन करके समिश्रित निधि में वापिस जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	वा0सं0	दिनांक	राशि
1	798	2.9.11	8323
2	874	29.12.11	7613
3	30	27.4.2012	4000
		कुल राशि	₹19936

(घ) समिश्रित निधि से **NAAC** की टीम की **Visit** हेतु ₹275000/– का ऋण दिए जाने बारे तथा प्रदान की गई ऋण की राशि में से शेष ₹53303 मिश्रित निधि में जमा न करवाने बारेः–

महाविद्यालय द्वार समिश्रित निधि से निम्नानुसार NAAC की टीम की Visit पर असैसमैन्ट व एकरेडीटेशन (Accredition) हेतु ऋण की राशि का भुगतान किया गया।

वा0सं0	दिनांक	राशि
735	23.3.11	15000
754	30.4.11	160000
755	6.5.11	100000
	कुल राशि	**275000**

उपरोक्त ऋण की राशि में से निम्न विवरणानुसार ₹221695/– को सम्बन्धित यू0जी0सी0 ग्रान्ट की राशि प्राप्त होने के पश्चात समिश्रित निधि मे ंवापिस जमा किया गया तथा शेष ऋण की राशि (₹275000–₹221695=₹53303) को निदेशक शिक्षा कार्यालय पत्र संख्या ई0डी0एन0एच0(8)ए0एफ0189–2009 दिनांक 4.8.2012 के अन्तर्गत समिश्रित निधि से व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है।

रसीद सं0	दिनांक	राशि
0440343	2.6.11	37551
0440418	3.8.12	184146
		221695

उपरोक्त प्रकरण में अंकेक्षण के दौरान जांच में पाया गया कि ऋण की शर्तों के मुताबिक यू0जी0सी0 से ग्रान्ट आने पर राशि तुरन्त समिश्रित निधि में जमा की जानी अपेक्षित थी। महाविद्यालय द्वारा यू0जी0सी0 ग्रन्ट की ₹184146/– दिनांक 3.2.2012 को प्राप्त की गई जो माह फरवरी में ही समिश्रित निधि में जमा की जानी अपेक्षित थी परन्तु यह राशि महाविद्यालय द्वारा छः महीने पश्चात दिनांक 3.8.2012 को वापिस निधि में जमा की गई। अतः

राशि को देरी से समिश्रित निधि में जमा करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित नियम जिसके अन्तर्गत शेष राशि को समिश्रित निधि में खर्च करने की स्वीकृति प्राप्त की गई को भी स्पष्ट किया जाए तथा शेष ₹53303/– के व्यय के वाऊचर मिश्रित निधि में प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है। अतः सम्बन्धित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में दर्शाए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

(ङ) खरीदे गये सामान की स्टॉक प्रविष्टियॉ न करने बारेः–

महाविद्यालय द्वारा प्रतियोगिता के दौरान खरीदे गये सामान तथा अन्य मदों का स्टॉक एवं सम्बन्धित रजिस्टर इन्द्राज नहीं किया है और न ही खरीदे गये सामान की खपत का विवरण दिया गया जिससे खरीदे गये सामान के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

वा0सं0 571 दिनांक/माह 12/10	1St Aid Medicine moov Bandage Dettol glucose cipladin	–	–	427
वा0सं0 687 दिनांक 6-12-10 cM No. Nil of 16.11.10	एक नं0 क्रीकेट बॉल	1	475	475
CM No. 8817	एक नं0 क्रीकेट बॉल	1	420	420
वा0सं0 699 दिनांक 20.12. 2010	चूना	110 कि0ग्रा0	8	880
–यथोपरि–	1st Aid Medicine venus medicine store moov withdetol	–	–	900
वा0सं0 700 दिनांक 24.12. 2010	बैन्डेज	20	–	171

–यथोपरि–	–यथोपरि–	30	–	171
–यथोपरि–	Moov spray	30	–	185
बिल सं0 1008 दिनांक 8.12.01	मोमेन्टो	1	375	375
–यथोपरि–	यथो0 मीडियम साईज	3	250	750
–यथोपरि–	यथो0 प्लावरसेम 1st inality	20	70	1400
–यथोपरि–	यथो0 प्लावरसेम	15	55	825
–यथोपरि–	यथो0 प्लावरसेम	40	40	1600
बिल नं0 00111	रेत	200 cft	–	2900
वा) 272 माह 12/06	बजरी	20 बैग	25	580
–यथोपरि–	रेत	30 बैग	20	600
–यथोपरि–	सीमेन्ट	7 बैग	215	1505
बिल सं0 141 माह 10/07	डी0टी0एच0 for Education Channel	1	–	2490

अतः खरीदे गये सामान एवं अन्य मदों का उचित इन्द्राज करने के पश्चात खरीदे गए सामान खपत की पुष्टि आगामी अंकेक्षण में करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(च) समिश्रित निधि से नियमों के विपरीत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति किये बगैर किये गये अनुचित भुगतानों बारेः–

महाविद्यालय द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश 1973 खण्ड–II के अध्याय 42.2 के वर्णित नियमों के विपरीत समिश्रित निधि से निम्नानुसार अनुचित भुगतान किये गये है जिन्हें सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा व्यय/भुगतान की राशियों को उचित स्त्रोत से वहन करके वापिस समिश्रित निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(i) महाविद्यालय करसोग के प्रांगण में परफोरमींग स्टेज के निर्माण कार्य हेतु मैसर्ज ममलेश्वर फेवरीकेशन मुमेल को एंगल आयरन व वुडेन प्लांकन की आपूर्ति व निर्माण हेतु वाउचर संख्या 141 दिनांक 16.8.2002 द्वारा ₹10000, वाउचर संख्या 196 दिनांक 7.11.2002 द्वारा ₹9456 तथा वाउचर संख्या 215 दिनांक 21.11.2002 द्वारा ₹13140 का किया गया भुगतान।

(ii) महाविद्यालय के स्टॉफ रूम में एक वाटर प्यूरीफायर की आपूर्ति हेतु वाऊचर संख्या 359 माह 10/07 द्वारा मैसर्ज ओम इलैक्ट्रोनिक्स करसोग से किया गया ₹6424.00 का भुगतान।

(iii) महाविद्यालय के परीक्षा हाल में दीवार गिराने व मुरम्मत के कार्य करवाने हेतु मिस्त्री की मजदूरी, रेत, सीमेन्ट व बजरी की खरीद पर वाउचर संख्या 272 माह 12/06 द्वारा किया गया ₹5372 का भुगतान।

(iv) मै0 फर्नीचर फैक्टरी बिलासपुर को महाविद्यालय को बैंक ड्राफ्ट संख्या 9050 दिनांक 3.05.09 के अन्तर्गत विद्यार्थियों के लिए डैस्क तथा प्रधानाचार्य के आफिस के लिए किया गया ₹413166/– का भुगतान जिसमें डैस्कों की खरीद के अतिरिक्त प्रधानाचार्य के आफिस स्टॉफ रूम के लिए फर्नीचर की खरीद पर किया गया ₹91260/– का भुगतान किया गया जोकि इस निधि पर उचित प्रभार नहीं है।

(छ) कामर्स स्ट्रीम के छात्रों के चिन्तपूर्णी तथा मैकलोडगंज के शैक्षणिक टूअर के लिए ₹13188/–का भुगतान करने बारेः–

वाउचर संख्या 694 दिनांक 24.12.2010 द्वारा मै0 चौहान बस सर्विस करसोग को उनके बिल संख्या 001 दनिांक 213.12.2010 के एवज में मिश्रित निधि से ₹13188/– का भुगतान किया गया था उपरोक्त भुगतान दिनांक 30.10.10 से 2.11.10 के दौरान कामर्स स्ट्रीम के छात्रों के चिन्तपूर्णी तथा मैकलोड़गंज के शैक्षणिक टूअर हेतु किया गया था जिस हेतु मै0 चौहान सर्विस करसोग से नेगोशिएसन उपरान्त ₹39100/– निर्धारित की गई। उक्त राशि में से ₹13188/– का 42 छात्रों के लिये रियायती दर भुगतान समिश्रित निधि से किया गया तथा शेष ₹25912/– का भुगतान छात्रों व अन्य स्त्रोतों द्वारा किया गया जिसके कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में नहीं दर्शाया गया। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि उपरोक्त ₹13188/– का भुगतान चैक संख्या 8072716 श्री लाभ सिंह प्रवक्ता इक्नोमिक्स के नाम पर किया गया है जबकि इसका भुगतान मैसर्ज चौहान बस सर्विस के नाम किया जाना अपेक्षित

था। उक्त के अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वास्तविक प्राप्ति की रसीद भी अंकेक्षण में प्रस्ततु नहीं की गई। अतः संस्था स्तर पर उपरोक्त प्रकरण की छानबीन की जानी सुनिश्चित की जाये ताकि वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा अपेक्षित अभिलेख भी आगामी अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत किए जाएं।

(ज) महाविद्यालय द्वारा दी गई अग्रिम राशियों में से व्यय के उपरान्त शेष राशि को कई–2 दिनों तक अपने पास रखने के पश्चात वापिस निधि में जमा करवाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा विभिन्न प्रयोजनों हेतु अग्रिम राशियों का भुगतान किया गया तथा भुगतान की गई अग्रिम राशि को व्यय के पश्चात शेष बची राशि को कई–2 दिनों तक अपने पास रखने के उपरान्त निधि में जमा किया गया जिससे धन के अस्थाई दुर्विनियोजन की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों में पाए गए इस प्रकार के कुछ उदाहरण निम्नानुसार है।

दिनांक व वा0सं0	अग्रिम राशि	व्यय की राशि	शेष राशि	जमा की तिथि	जितने दिनों तक हस्तगत राशि रखी गई	जिसके नाम अग्रिम राशि थी
83 दिनांक 6.1.2001	10000	8186	1814	16.3.2001	9.12.01 से 16.3.01 कुल 66 दिन	श्री विक्रान्त शर्मा प्रवक्ता
189 दिनांक 20.11.2011	15000	14140	860	14.2.05	2.12.04 से 13.2.05 कुल 73 दिन	श्री कुलजीत प्रवक्ता
251 दिनांक 29.9.01	45000	38540	6460	8.2.08	3.10.07 से 7.02.08 कुल 127 दिनों तक	श्री अनिल चौहान प्रवक्ता

684 दिनांक 6.12.2010	3000	—	3000	14.2.11	7.12.2010 से 14.2. 2011 कुल दिन 68 दिन	श्री सुधार कुमार प्रवक्ता

अतः उक्त वर्णित शेष राशियों देरी से जमा करवाने बारे कारण स्पष्ट किए जाएं। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय द्वारा अपने स्त्तर पर ऐसे मामलों की छानबीन सुनिश्चित की जाए जिनमें कर्मचारी/अधिकारी द्वारा प्राप्त अग्रिम राशि में शेष राशि को कई–2 दिनों तक अपने पास रखने के पश्चात वापिस निधि में जमा करवाया है जिनमें दण्ड ब्याज की वसूली की जानी सुनिश्चित करें और भविष्य में ऐसे प्रकरणों पर रोक लगााये।

(झ) उतरपुस्तिकाओं की खरीद पर ₹1000/— का अधिक भुगतानः—

महाविद्यालय द्वारा वाऊचर संख्या 877 दिनांक 29.12.2011 के अन्तर्गत मै0 गुन्जन प्रीटिंग प्रैस करसोग से 16 पेज की 5000 उत्तर पुस्तिकाओं की खरीद करने पर निविदाओं में अंकित दर ₹2.40 प्रति उत्तर पुस्तिकाओं के स्थान पर ₹2.60 प्रति उत्तर पुस्तिका का भुगतान करने के कारण कुल ₹12000/— के स्थान पर ₹13000 का भुगतान अर्थात ₹1000.00 का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी अतिशीध्र वसूली करके वापिस समिश्रित निधि में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ण) क्रय की गई पुस्तक की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में न करने बारेः—

महाविद्यालय बिल संख्या 1064 दिनांक 27.10.09 के अन्तर्गत ₹5317/—का भुगतान मै0 नरेन्द्रा बुक स्टोर सेरी बाजार, मण्डी को उनके बिल संख्या 1064 दिनांक 27.10.09 रसीद संख्या 3935 दिनांक शून्य के एवज में 11 नं0 पुस्तकों की आपूर्ति हेतु किया गया। बिल/स्टॉक रजिस्टर की जॉच करने पर पाया गया कि बिल के क्रम संख्या 3 पर 2 नं0 पुस्तकें ₹275 प्रति पुस्तक की दर से शीर्षक "Regional Planning in India" क्रय की गई थी लेकिन स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 62 पर केवल 1 नं0 पुस्तक की ही प्रविष्टि की गई थी तथा शेष 1 नं0 पुस्तक की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर पर दर्ज नहीं थी। इस प्रकार 1 नं0 पुस्तक की स्टॉक रजिस्टर में

कम पाई गई। अतः उक्त 1 नं0 पुस्तक रजिस्टर पर दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा ₹275/– की प्रतिपूर्ति चूककर्ता से करके वापिस सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवाई जाये तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाई जानी सुनिश्चित की जाये।

(ट) पत्रिकाओं को छपवाने हेतु ₹1260/– का अधिक भुगतानः–

निम्नविवरणानुसार ₹34920/–का भुगतान मै0 महाजन प्रिंटर्ज व स्टेशनर्ज मेन बाजार, करसोग (मण्डी) को उनके बिल संख्या 0339 दिनांक 16.10.04, रसीद संख्या 00021 दिनांक 03. 01.05 के एवज में 900 नं0 पत्रिकायें "कामाक्षा" वर्ष 2003–04 के लिये छपवाने हेतु किया गया।

क्र0सं0	विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	कॉलेज मैगजीन	900 नं0	24.80	22320
2	एक्स्ट्रा पेजिस	20 पेज/पत्रिका	0.63	12600
			कुल योग	34920

उक्त बिल की जॉच करने पर पाया गया कि पत्रिका छपवाई गई की प्रत्येक प्रति में 20 नं0 पेज अतिरिक्त छपवाये गये थे जिसकी लागत निविदा के अनुसार 0.63 पैसे प्रति कॉपी/प्रति पेज थी। इस प्रकार 900 नं0 पत्रिकाओं में 20 पेज प्रति पत्रिका में अतिरिक्त छपवाने हेतु ₹12600/– का भुगतान किया गया था जबकि 20 अतिरिक्त पेज/पत्रिका में छपवाने हेतु ₹11340/=(900 नं0 x20 पेजx0.63) भुगतान किया जाना चाहिये था। इस प्रकार ₹1260/= (₹12600–₹11340) का अधिक भुगतान किया गया जिसकी प्रतिपूर्ति अंकेक्षण के दौरान रसीद संख्या 0440457 दिनांक 04.05.13 ₹1260/– चूककर्ता से करके वापिस सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवा दी गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति न की जाए।

(ठ) यूथ फेस्टिवल के दौरान ₹1940/–का अनियमित भुगतानः–

महाविद्यालय द्वारा वाऊचर संख्या 838 माह 10/11 के अन्तर्गत कालेज के विद्यार्थियों द्वारा घुमारवीं में दिनांक 2.11.11 से 5.11.11 के दौरान आयोजित यूथ फेस्टीवल (Youth

Festival) में हिस्सा लेने के लिए 8 बिस्तरों के लिए ₹30/– प्रति बिस्तरे 4 दिनों का कुल ₹960 का भुगतान भी किया गया जो उचित प्रतीत नहीं होता है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त माह 12/10 में वाऊचर संख्या 682 दिनांक 27.12.10 के अन्तर्गत दी गई अग्रिम ₹10000/– के समायोजन की जांच करने पर यह पाया गया कि विद्यार्थियों को यूथ फेसटेबल (जिसका आयोजन दिनांक 5.10.2010 से 8.10.2010 के दौरान सुजानपुर में किया गया) के दौरान 7 बिस्तरों का ₹35.00 प्रति बिस्तरों की दर से चार दिनों के लिये कुल ₹960/– का भुगतान मैसर्ज ठाकुर लाईट एण्ड टेन्ट हाऊस को किया गया जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ड) छात्रों की रिफ्रेशमैन्ट पर ₹700/–का अनियमित भुगतान करना:–

नियमानुसार विद्यार्थियों को टूर्नामैन्ट के दौरान (Play Hours) में डी0ए0 के साथ रिफ्रेशमैन्ट देने का प्रावधान है तथा टूर्नामैन्ट के दौरान प्ले ऑफ दिन में केवल डी0ए0 का ही प्रावधान है व रिफ्रेशमैन्ट देय नहीं है। इसके विपरीत कालेज द्वारा वाऊचर संख्या 86 माह 12/11 के अन्तर्गत दिनांक 2.11.11 व 6.11.11 को 14 विद्यार्थियों को ₹25 प्रति विद्यार्थी की दर कुल ₹700/– का भुगतान किया गया जो देय नहीं था जिसकी वसूली अपेक्षित है।

(ढ) मै0 किरपाल स्टील फर्नीचर एंड फैवरीकेशन इंडस्ट्रीज द्वारा महाविद्यालय को अलमीरा तथा बुक केस की आपूर्ति देरी से करने के परिणामस्वरूप जुर्माने की ₹1500/– की वसूली न करने बारे:–

महाविद्यालय द्वारा वाऊचर संख्या 101 दिनांक 9.11.12 के अन्तर्गत ₹30765/–का भुगतान मै0 किरपाल स्टील फर्नीचर एण्ड फैवरीकेशन इण्डस्ट्रीज मेन बाजार, मण्डी, हिमाचल प्रदेश को उनके बिल संख्या 388 व 389 दिनांक 30.10.12 के एवज में 5 नं0 बुक केस व 1 नं0 स्टील अलमीरा की आपूर्ति हेतु किया गया। उपरोक्त क्रय से सम्बन्धित अभिलेख/निविदायें इत्यादि व अन्य औचारिकतायें पूर्ण करने उपरान्त किया गया कि महाविद्यालय के पत्रांक संख्या ई0डी0एन0–जी0सी0के0–के0सी0जी0– 2/2010–1181 दिनांक 27.8.12 के अनुसार अलमीरा व बुक केस की उक्त फर्म द्वारा 30.9.12 से पूर्व पूर्ति कर दी जानी अपेक्षित थी अन्यथा उक्त तिथि के उपरान्त पूर्ति के लिये ₹50/– प्रतिदिन के लिये जुर्माना लगाया जाना अपेक्षित था परन्तु अभिलेखों (बिल, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि) की जॉच पर पाया गया कि फर्म द्वारा उक्त मदों की

पूर्ति संस्था/कार्यालय को दिनांक 30.10.12 को की गई है। इस प्रकार उक्त सामान की पूर्ति 30 दिन देरी से की गई थी। अतः आपूर्तिकर्ता द्वारा शर्तों की अवहेलना करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा नियमानुसार देरी के लिये ₹50/–प्रतिदिन की दर से जुर्माने के ₹1500/– (50X30 दिन) की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से/चूककर्ता से करके वापिस उक्त निधि खाते में जमा करवाई जाये तथा भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों पर रोक लगाकर कार्यप्रणाली में सुधार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ञ) समायोजन विपत्र में ₹950/– का अधिक भुगतान का दर्शाया जानाः–

महाविद्यालय द्वारा अग्रिम ₹60000/–का भुगतान वाऊचर संख्या 191 के अन्तर्गत श्री कुलजीत सिंह प्रवक्ता जीव विज्ञान को दिनांक 15.12.2004 को महाविद्यालय में ईनाम वितरण समारोह हेतु किया गया। उपरोक्त अग्रिम राशि में से ₹48294/– विभिन्न मदों पर व्यय की गई व शेष ₹11706.00 वापिस निधि में जमा की गई। वितरण समारोह से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि प्राचार्य द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता में उत्कृष्ट विद्यार्थियों को ₹9000/– की नकद पुरस्कार राशि स्वीकृत की गई थी जबकि इसके विपरीत समायोजन विपत्र में ₹9950/– अर्थात ₹950/–का अधिक भुगतान किया गया है जिसका पुनः अवलोकन करते हुये वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा स्वीकृत राशि से अधिक भुगतान की गई राशि को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

(त) एल0जी0 टेलीविजन की खरीद पर ₹90/– का अधिक भुगतानः–

वाऊचर संख्या 275 माह 2/06 द्वारा मैसर्ज एम के एन्टर प्राईजेज को एक एल0जी0 कलर टी0वी0 29" की खरीद पर ₹19900/– के स्थान पर ₹19990/– का भुगतान करके ₹90.00 का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है।

8 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जानाः–

अभिलेख की जॉच में पाया गया कि महाविद्यालय में निधियों के स्टॉक में पड़े सामान की अंकेक्षण अवधि 04/2000 से 03/2013 के दौरान प्रत्यक्ष सत्यापना नहीं की गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के अन्तग्रत प्रत्येक वर्ष स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना करवाई जानी अपेक्षित है। अतः नियमों की अवहेलना करके प्रत्येक वर्ष

प्रत्यक्ष सत्यापना न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व अविलम्ब प्रत्यक्ष सत्यापना करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से प्रत्यक्ष सत्यापना करवाई जानी सुनिश्चित की जाये।

9 **लधु आपत्ति विवरणीः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

10 **निष्कर्षः—** लेखाओं के रख—रखाव में अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)मु0(2)सी(15)11 (11) 272/97 दिनांक, 25.11.2013 शिमला—171009.
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत

1 प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस संचयिका अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजें।

2 निदेशक, शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, हि0प्र0 शिमला—1

3 श्री तारा चन्द महन्त, सहायक नियन्त्रक द्वारा ....

हस्ता/
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा की स्थिति

परिशिष्ट "I" पैरा संख्या–1 **(iii)**

अवधि 6/94 से 3/97

1	पैरा–3 (क)	निर्णीत	(₹685.00 की राशि की वसूली रसीद संख्या 0440456 दिनांक 29.4.13 द्वारा कर ली गई है)
2	पैरा–3 (ख)	निर्णीत	(₹147 की वसूली रसीद संख्या 0440453 दिनांक 27.4.13 द्वारा कर ली गई है)
3	पैरा–3 (ग)	निर्णीत	(महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुरूप पैरा स्थल पर निर्णीत कर लिया गया है)
4	पैरा–3 (घ)	निर्णीत	₹150 की राशि की वसूली रसीद संख्या 0729554 दिनांक 31.3.2013 द्वारा कर ली गई है
5	पैरा–3 (ङ)	अनिर्णीत	(अपेक्षित कार्रवाई की जानी शेष है)
6	पैरा–3 (च)	निर्णीत	(महाविद्यालय द्वारा अपेक्षित कार्यात्तर स्वीकृति निदेशक शिक्षा के कार्यालय मापन संख्या शिक्षा एच (5) सी(5)–4194 दिनांक 9.2.2004 द्वारा प्राप्त कर ली गई है)
7	पैरा–3 (छ)	निर्णीत	(₹2000.00 ऋण की राशि माह 2/95 में वापिस समिश्रित निधि में जमा कर दी गई है)
8	पैरा–3 (ज)	निर्णीत	सम्बन्धित अभिलेख की पुष्टि कर ली गई है
9	पैरा–3 (झ)	निर्णीत	(अपेक्षित कार्रवाई की पुष्टि कर ली गई है)
10	पैरा–3 (ञ)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण में स्टॉक इन्द्राज की पुष्टि कर

			ली गई है)
11	पैरा–3 (ट)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
12	पैरा–3 (ठ)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
13	पैरा–3 (ड)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
14	पैरा–3 (ढ)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
15	पैरा–3 (ण)	निर्णीत	(अपेक्षित अभिलेख की पुष्टि वर्तमान अंकेक्षण में कर ली गई है)
16	पैरा–3 (त)	निर्णीत	(अपेक्षित कार्रवाई की पुष्टि कर ली गई है)
17	पैरा–3 (थ)	निर्णीत	(₹1155/– की राशि उचित स्त्रोत से वसूली करके रसीद संख्या 0440462 दिनांक 12.6.2013 द्वारा कर दी गई है)
18	पैरा–3 (द)	निर्णीत	(₹244/–की राशि रसीद संख्या 044053 दिनांक 27.04.13 द्वारा जमा कर दी गई है)
19	पैरा–3 (ध) (1, 2)	निर्णीत	(राशियां सम्बन्धित निधि में जमा कर दी गई है)
20	पैरा–3 (न) (1, 2)	निर्णीत	(राशियां सम्बन्धित निधि में जमा कर दी गई है)
21	पैरा–3 (प) (1, 2)	निर्णीत	(₹220/– की राशि रसीद संख्या 044055 दिनांक 27.4.13 द्वारा जमा कर दी गई है)
22	पैरा–3 (फ)	निर्णीत	(₹35/–की राशि रसीद संख्या 044053 दिनांक 27.4.2013 द्वारा जमा कर दी गई है)
23	पैरा–3 (ब)	निर्णीत	(सम्बन्धि अभिलेख/रसीद वर्तमान अंकेक्षण में देय ली गई है)
24	पैरा–3 (भ)	निर्णीत	(महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुरूप पैरा निर्णीत किया गया है)
25	पैरा–3 (य)	निर्णीत	(₹350/–की राशि रसीद संख्या 0440459 दिनांक 10.5.2013 द्वारा जमा कर दी गई है)
26	पैरा–3 (र)	निर्णीत	(₹661/–की राशि रसीद सं0 0440453 दिनांक 27.4.2013 द्वारा जमा कर दी गई है)
27	पैरा–3 (ल)	निर्णीत	(महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुरूप निर्णीत

			किया गया है)
28	पैरा–3 (व)	निर्णीत	(सम्बन्धित स्टॉक इन्द्राज वर्तमान अंकेक्षण के दौरान देख लिया गया है व अपेक्षित राशि सम्बन्धित निधि में जमा करवा दी गई है)
29	पैरा–3 (श)	निर्णीत	(महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुरूप पैरा निर्णीत किया गाय है)
30	पैरा–3 (ष)	निर्णीत	(₹165/–की राशि रसीद संख्या 0440453 दिनांक 27.4.2013 द्वारा जमा कर दी गई है)
31	पैरा–3 (स)	निर्णीत	(₹1842/–की राशि उचित स्त्रोत से निकावाकर समिश्रित निधि में जमा कर दी गई है। रसीद संख्या 0440462 दिनांक 12.6.13)
32	पैरा–3 (ह)	निर्णीत	(₹302 की राशि रसीद संख्या 0440453 दिनांक 27.4.2013 द्वारा जमा कर दी गइ है)
33	पैरा–4	निर्णीत	(सम्बन्धित स्टॉक इन्द्राज देख लिया गया है)
34	पैरा–5	निर्णीत	(सम्बन्धित स्टॉक इन्द्राज दर्शा दिया गया है)
35	पैरा–6	निर्णीत	(सम्बन्धित स्टॉक इन्द्राज वर्तमान अंकेक्षण के दौरान दर्शा दिया गया है)
36	पैरा–7	निर्णीत	(सम्बन्धित स्टॉक इन्द्राज वर्तमान अंकेक्षण के दौरान दर्शा दिया गया है)
37	पैरा–7 (1)	निर्णीत	(₹48/–की राशि रसीद संख्या 0440460 दिनांक 16.5.2013 के अन्तर्गत जमा कर दी गई है)

अवधि 4/97 से 31.3.2000

1	पैरा–3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क ₹1405/– की राशि बैंक ड्राफ्ट संख्या 1224239 दिनांक 19.4.2001 के द्वारा जमा करवा दी गई ह)
2	पैरा–4	निर्णीत	(₹5436/– अन्तर की राशि का अवधि 31.3.2013 तक समाधान कर दिया गया है)

3	पैरा–5	अनिर्णीत	(पैरे के समाधान हेतु अपेक्षित कार्यवाही की जानी शेष है)
4	पैरा–6	निर्णीत	(₹19224 / –की राशि रसीद संख्या 0440463 के अन्तर्गत दिनांक 12.6.13 को भवन निधि से निकलवाकर मिश्रित निधि बचत खाता संख्या 36 हिमाचल प्रदेश स्टेट को0 बैंक शाखा करसोग में जमा कर दी गई है)
5	पैरा–7 (क)	निर्णीत	(पैरा अपडेट करने के पश्चात अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2000 से 31.3.2013 तक के पैरा संख्या में पुनः प्रारूपित किया गया है)
6	पैरा–7 (ख)	निर्णीत	(₹360 / –की राशि की वसूली रसीद संख्या 672945 दिनांक 23.8.03 द्वारा कर ली गई है)
7	पैरा–7 (ग) (1, 2)	निर्णीत	(₹370 / –' की वसूली रसीद संख्या 0440464 दिनांक 12.6.2013 द्वारा कर ली गई है)
8	पैरा–7 (ग) (3)	निर्णीत	(अपेक्षित अभिलेख की पुष्टि वर्तमान अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है)
9	पैरा–7 (घ)	निर्णीत	(अपेक्षित अभिलेख की पुष्टि वर्तमान अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है)
10	पैरा–7 (ङ)	अनिर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही की जानी शेष है)
11	पैरा–7 (च)	निर्णीत	(अपेक्षित अभिलेख का अनुरक्षण किया जा रहा है)
12	पैरा–8	निर्णीत	(देरी दाखिला शुल्क ₹340 की राशि की वसूली रसीद संख्या 0440464 दिनांक 12.6.2013 द्वारा कर ली गई है)
13	पैरा–9 (1, 2)	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	50
वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निपटाए गए गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित पैरे	46

अन्तशेष (अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4／10 से 3／11 तक) 4